तथा अन्य सन्निर्माण परियोजना जिसके लिए भारतीय मानक पहले से ही उपलब्ध के विषय में ब्यौरे भारतीय मानक ब्यूरों को देता है ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट वास्तुविद और अन्य वृत्तिक भवन निर्माण सामग्री, वस्तुओं या ऐसे भवन में उपयोग की गई प्रक्रियाओं तथा अन्य ऐसे सन्निर्माण कार्य कलाप जिसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ भारतीय मानक विद्यमान नहीं है, और ऐसी सामग्री वस्तुओं या प्रक्रियाओं के संपादन के ब्यौरे, भारतीय मानक ब्यूरो के विचार करने और आवश्यक मानक स्थापित करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उनके सुधार के लिए सुझावो के साथ भारतीय मानक ब्यूरो को जानकारी देता है ।

भाग 4

काम के घंटे, कल्याण, मजदूरी का संदाय, रजिस्टर और अभिलेख आदि

अध्याय – 26

काम के घंटे, विराम अंतराल और साप्ताहिक छुट्टी आदि

237. **काम के घंटे, विराम अतंराल और विस्तृति आदि :–**

(1) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से एक दिन में नौ घंटे या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक के लिए कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित किसी भी भवन निर्माण कर्मकार से, जब तक वह आधा घंटा से अन्यून का विराम अंतराल नहीं ले लेता है पांच घंटों से अधिक के लिए लगातार कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(3) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित भवन निर्माण कर्मकार का कार्यकरण दिन इस प्रकार क्रमांक्रित किया जाएगा कि विराम अंतराल यदि कोई हो, को मिलाकर किसी भी दिन को बारह घंटो से अधिक की विस्तृति नहीं होगी ।

(4) जब कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में किसी दिन को नौ घंटे से अधिक के लिए या किसी सप्ताह में अड़तालिस घंटे से अधिक के लिए कार्य

करता है तो वह अतिकालिक कार्य की बावत मजदूरी को सामान्य दर से दूगनी मजदूरी के लिए हकदार होगा ।

238. **साप्ताहिक विराम, विराम के दिन पर किए गए कार्य के लिए अतिकालिक दर पर संदाय** :– इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को प्रत्येक सप्ताह विराम का एक दिन जिसे इसमें इसके पश्चात् विराम दिन कहा गया है अनुज्ञात होगा जो सामान्य रूप से रविवार होगा, किन्तु नियोजक सप्ताह का कोई अन्य दिन विराम दिन के रूप में नियत कर सकता है :

परन्तु यह कि विराम के रूप में नियत किए गए दिन की ओर ऐसे विराम दिन में कोई पश्चातवर्ती परिवर्त्तन की जानकारी ऐसा परिवर्तन करने से पूर्व इस निमित अधिकारिता वाले निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर नियोजन के स्थान में तदर्थक एक सूचना के संप्रदर्शन द्वारा भवन निर्माण कर्मकार को दे दी जाएगी ।

(2) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित कोई भी कर्मकार किसी विराम दिन पर कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा ऐसे विराम दिन से ठीक पहले या बाद में पांच दिन में से एक संपूर्ण दिन के लिए प्रतिस्थापित विराम पहले से नहीं ले लिया गया था या ले लिया जाएगा ।

परन्तु ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जो किसी भवन निर्माण कर्मकार का एक संपूर्ण दिन के लिए किसी विराम दिन के बिना लगातार रूप से दस दिन से अधिक के लिए कार्य करने का कारण हो जाता है ।

(3) जहां भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार ने किसी विराम दिन पर कार्य किया है ओर इसे उपनियम (1) तथा उपनियम (2) में यथा उपबंधित उस विराम दिन से पूर्व या बाद के पांच दिन में से कोई एक प्रतिस्थापित विराम दिन दे दिया गया है, ऐसा विराम दिन कार्य के साप्ताहिक घंटों की गिनती करने के प्रयोजन के लिए उस सप्ताह में, जिसमें ऐसा प्रतिस्थापित विराम दिन आता है सम्मिलित किया जाएगा ।

(4) भवन निर्माण या अन्य संन्निर्माण कार्य में नियोजित भवन निर्माण कर्मकार को ऐसे विराम दिन के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर संगणित किसी विराम दिन के लिए मजदूरी दी जाएगी और यदि उसमें किसी विराम दिन पर कार्य किया है और कोई प्रतिस्थापित विराम दिन दे दिया गया है, ऐसे विराम दिन के लिए जिस पर उसने काम किया था उसे अतिकालिक दर पर मजदूरी और ऐसे प्रतिस्थापित विराम दिन के पूर्ववर्ती दिन को लागू दर पर ऐसे प्रतिस्थापित विराम दिन के लिए मजदूरी का संदाय किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण –1 :– इस नियम के प्रयोजन के लिए "पूर्ववर्ती दिन" से अभिप्रेत है यथास्थित किसी विराम दिन का पूर्ववर्ती वह अंतिम दिन या कोई प्रतिस्थापित विराम दिन जिसको किसी भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था और जहां ऐसा प्रतिस्थापित विराम दिन ऐसे विराम दिन के ठीक बाद में पड़ता है ऐसे "पूर्ववर्ती दिन" से अभिप्रेत है ऐसे विराम दिन का पूर्ववर्ती ऐसा अंतिम दिन जिसको ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया था ।

स्पष्टीकरण –2 : इस नियम के प्रयोजन के लिए "सप्ताह" शनिवार रात्रि को मध्यरात्रि पर आरंभ होने वाले सात दिन की कालावधि अभिप्रेत करेगा ।

239. **रात्रि की पारियां** :– जहां भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियेाजित कोई भवन निर्माण कर्मकार किसी ऐसी पारी पर कार्य करता है जिसका मध्यरात्रि के पश्चात् विस्तार होता है, –

(क) नियम 238 के प्रयोजनों के लिए कोई विराम दिन उस समय से जब ऐसे पारी समाप्त होती हैं, आरंभ होने वाले लगातार चौबीस घंटे की कालावधि अभिप्रेत करेगा ;

(ख) मध्यरात्रि के पश्चात् ऐसे घंटे जिनके दौरान ऐसे भवन निर्माण कर्मकार ने कार्य किया है पूर्ववर्ती दिन के लिए गिने जाएंगें ; और

(ग) अगला दिन ऐसी पारी जब समाप्त होती है उस समय से आरंभ होने वाले चौबीस घंटे की अवधि समझी जाएगी ।

240. **भवन निर्माण कर्मकारों के कतिपय वर्गो को इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना** : –

(1) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ग) तक के अधीन विनिर्दिष्ट भवन निर्माण कर्मकारों के वर्गो को इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के अध्याधीन लागू होगें, अर्थात् :–

(क) भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार विराम अंतराल को मिलाकर एक दिन में पन्द्रह घंटे या एक सप्ताह में साठ घंटे से अनधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा ;

परन्तु यह कि नियम 237 के उपनियम (2) में अधिकथित अनुसार लगातार कार्य के प्रत्येक पांच घंटे के पश्चात् आधा घंटा से अन्यून के विराम अंतराल दिए जाते हैं ;

(ख) जब तक ऐसे कर्मकार को विराम के लिए चौबीस घंटे का विराम नहीं दिया जाता है, भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित कोई भी भवन निर्माण कर्मकार चौदह लगातार दिन से अनधिक के लिए कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं होगा ।

(2) जहां भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित किसी भवन निर्माण कर्मकार की बावत कार्यकरण घंटे नियम 237 के उपनियिम (1) में यथा अधिकथित काम के घंटों से अधिक हो गए हैं या जहां ऐसा कर्मकार इस नियम के उपनियम (1) के लागू होने के

कारण किसी विराम दिन से वंचित कर दिया गया है ऐसे कर्मकार को ऐसे दैनिक या साप्ताहिक घंटों के अतिरिक्त किए गए कार्य और ऐसे विराम दिन पर किए गए कार्य की बाबत सामान्य मजदूरी की दर से दुगनी दर पर संदाय किया जाएगा ।

अध्याय – 27

सूचनाएं, रजिस्टर, अभिलेख और आंकड़े का संग्रहण

241. **मजदूरी कालावधि आदि की सूचना** :– (1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन स्थापन के कार्य स्थान के सहज दृश्य स्थान पर ऐसे स्थापन के कार्य स्थान के सहज दृश्य स्थान पर ऐसे स्थापन में कार्य करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की मजदूरी की दरें, उनकी मजदूरी कालावधि, ऐसी मजदूरियों के संदाय की तारीख, ऐसे स्थापन की अधिकारित वाले निरीक्षकों के नाम और पते, ऐसे कर्मकारों की असंदत्त मजदूरी के संदाय की तारीख दर्शित करने वाली सूचना अंग्रेजी, हिन्दी में और ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में संप्रदर्शित करवाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की एक प्रति अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजी जाएगी और जब भी ऐसी सूचना में अंतर्विष्ट तथ्यों की बाबत कोई परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन ऐसे निरीक्षक को नियोजक द्वारा भेज दिया जाएगा ।

242. **प्रारंभ और पूरा होने की सूचना** – (1) प्रत्येक नियोजक उसके नियंत्रणाधीन किसी भवन निर्माण या अन्य संन्निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से कम से कम तीस दिन पहले ऐसे प्रारंभ वास्तविक तारीख, पूरा होने की अधिसंभाव्य तारीख और ऐसे भवन निर्माण या अन्य संनिर्माण कार्य की बाबत अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसी अन्य विशिष्टियों को संसूचित करते हुए इन नियमों से संलग्न प्ररूप–4 में एक लिखित सूचना अधिकारिता वाले निरीक्षक को भेजेगा या भिजवाएगा ।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन भेजी गई विशिष्टियों में से किसी में भी कोई परिवर्तन होता है, नियोजक ऐसे परिवर्तन के दो दिन के भीतर अधिकारिता वाले निरीक्षक को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा ।

(3) उपनियम (1) की कोई भी बात भवन निर्माण या अन्य संन्निर्माण कार्य के ऐसे वर्ग की दशा में लागू नहीं होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा आपातिक कार्य होना विनिर्दिष्ट करती है ।

243. **भवन निर्माण कर्मकारों के रूप में नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर** : – प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्थापन की बाबत जहां वह भवन निर्माणा कर्मकार नियोजित करता है इन नियमों से संलग्न प्ररूप 15 में एक रजिस्टर पोषित करेगा ।

244. **मस्टर रोल, मजदूरी रजिस्टर, कटौती रजिस्टर, अतिकालिक रजिस्टर और मजदूरी बहियों और सेवा प्रमाण पत्रों का जारी किया जाना** :– (1) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक ऐसे कार्य की बावत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकारों को लगाता है निम्नलिखित पोषित करेगा –

(क) इन नियमों से संलग्न प्रारूप 16 और प्रारूप 17 में क्रमशः एक मस्टर रोल और एक रजिस्टर ;

परन्तु यह कि इन नियमों से संलग्न प्रारूप 18 में मजदूरी सह – मस्टर रोल का एक सम्मिलित रजिस्टर जहां ऐसे भवन निर्माण कमकार के लिए मजदूरी कालावधि एक पक्ष या इससे कम है नियोजक द्वारा पोषित किया जाएगा ;

(ख) इन नियमों में संलग्न प्रारूप 19, प्रारूप 20 और प्रारूप 21 में क्रमशः नुकसानी याहानि के लिए रजिस्टर, जुर्मानों का रजिस्टार और अग्रिमों का रजिस्टर ;

(ग) शीतकालिक कार्य, यदि कोई हो, के घंटों की संख्या और उसके लिए संदत्त मजदूरी का उसमें अभिलेख करने के लिए इन नियमों से संलग्न प्रारूप 22 में अतिकाल का एक रजिस्टर ;

(2) प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रत्येक कार्य की बाबत जिस पर वह भवन निर्माण कर्मकार को लगाता है, –

(क) जहां मजदूरी कालावधि एक सप्ताह या इससे अधिक है ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियमों से संलग्न प्ररूप 23 में ऐसे प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को मजदूरी पुस्तिका जारी करेगा जिसमें उनकी मजदूरी के संवितरण से कम से कम एक दिन पूर्व प्रविष्टियाँ की जाएंगी ;

(ख) ऐसे कार्य के पूर्व होने के कारण या किसी अन्य कारण से उसकी सेवा की समाप्ति पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को इन नियमों से संलग्न प्रारूप 24 में ऐसा प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार को एक सेवा प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(ग) यथास्थिति, मजदूरियों के रजिस्टर या मस्टररौल सह मजदूरियों के रजिस्टर पर प्रत्येक ऐसे भवन कर्मकार से संबंधित प्रविष्टियों के सामने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान अभिप्राप्त करेगा और ऐसी प्रविष्टियां नियोजक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अभिप्रमाणित की जायगी ।

(3) ऐसे किसी स्थापन की बाबत जिसकी मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) या ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 लागू होते हैं ऐसे अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम या उसके अधीन

बनाए गए नियमों के अधीन किसी नियोजक द्वारा घोषित किए जाने वाले निम्नलिखित अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेखों को इन नियमों के अधीन उस नियोजक द्वारा घोषित रजिस्टर और अभिलेख समझा जाएगा, अर्थातः –

(क) मस्टर रोल ;
(ख) मजदूरियों का रजिस्टर ;
(ग) कटौतियों का रजिस्टर ;
(घ) अतिकाल का रजिस्टर ;
(ड.) जुर्मानों का रजिस्टर ;
(च) अग्रिमों का रजिस्टर ;
(छ) मजदूरी – सह–मस्टर रोल का सम्मिलित रजिस्टर ।

(4) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहां इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्ररूप के बदले में कोई सम्मिलित या अनुकल्पिक प्रारूप का, किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमो के उपबंधों के अनुपालन के लिए या प्रशासनिक सुविधा के लिए कार्य को दोबारा करने से बचने के लिए किसी नियोजक द्वारा उपयोग किया जाना चाहा जाता है वहां ऐसे सम्मिलित या अनुकल्पिक प्रारूप का मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन से उपयोग किया जा सकेगा ।

(5) प्रत्येक नियोजक ऐसे कार्य स्थल के सहज दृश्य स्थान पर, जहां वह भवन निर्माण कर्मकारों को लगाता है अधिनियम और इन नियमों के संक्षिप्त सार, उस प्रपत्र में जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित हो, की अंग्रेजी में और हिन्दी में तथा ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली किसी भाषा मे संप्रदर्शित करेगा ।

(6) प्रत्येक नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम या इन नियमों के अधीन पोषित किए जाने वाले अपेक्षित रजिस्टर या अन्य अभिलेखों को पूर्ण और अद्यतन रखा जाता, तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय संबद्ध कार्य स्थान की प्रसीमाओं के भीतर किसी कार्यालय या निकटतम सुविधाजनक भवन में रखा जाता है ।

(7) किसी स्थापन से संबंधित रजिस्टर और अभिलेखों को जिनका अधिनियम और इन नियमों के अधीन पोषित किया जाना अपेक्षित है, सुपाठ्य अंग्रेजी में या हिन्दी में पोषित किया जाएगा ।

(8) सभी रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखों को उस नियोजक द्वारा, जिससे ऐसा रजिस्टर या अन्य अभिलेख संबंध रखता है, उसमें अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए मूल रूप में बनाए रखा जाएगा ।

(9) अधिनियम या इन नियमों के अधीन पोषित प्रत्येक रजिस्टर, अभिलेख या सूचना की मांग किये जाने पर निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या संबद्ध नियोजक द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा ।

(10) जहाँ किसी मजदूरी कालावधि के दौरान किसी भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी से कोई कटौती नहीं की गई है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा कोई अतिकालिक कार्य संपादित नहीं किया गया है या ऐसे भवन निर्माण कर्मकार को अतिकालिक कार्य के लिए संदाय नहीं किया गया है कि दशा में यथास्थिति प्रारूप 19, 20, 21 या 22 में पोषित सुसंगत रजिस्टर में समुचित स्थान पर ऐसी मजदूरी कालावधि के सामने "शुन्य" प्रविष्टि की जाएगी ।

245. **विवरणियां** – किसी रजिस्ट्रीकृत स्थापन का प्रत्येक नियोजक इन नियमों से संलग्न प्रारूप – 25 में दो प्रतियों में ऐसे स्थापन की बाबत एक विवरणी प्राधिकारिता वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अधिकारिता वाले निरीक्षक की एक प्रति के साथ प्रति वर्ष भेजेगा ताकि उसके पास प्रत्येक कलेण्डर वर्ष की समाप्ति के ठीक बाद पंद्रह फरवरी तक पहुँच सके ।

246. अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त विविध प्राधिकारी वर्ग का सूचना मांगने की शक्तियां – (1) राज्य सलाहकार समिति या राज्य सलाहकार समिति की उपसमिति, मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक या कल्याण बोर्ड प्राधिकारी या इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अन्य प्राधिकारी को किसी नियोजक से भवन कर्मकार के सम्बन्ध में कोई भी सूचना या आंकड़ा मांगने का अधिकार होगा ।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत सूचना मांगे जाने पर कोई भी व्यक्ति ऐसा करने को विधितः बद्ध होगा ।

अध्याय – 28

भवन निर्माण कर्मकारों का कल्याण

247. **शौचालय और मूत्रालय सुविधा** : – यथास्थिति शौचालय या मूत्रालय अधिनियम की धारा 33 के अधीन उपबंधित की अपेक्षानुसार नीचे यथा विनिर्दिष्ट टाइप के होगें, अर्थात्: –

(क) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा और इस प्रकार विभाजित होगा ताकि एकांतता सुनिश्चित कर सके तथा उसमें यथोचित दरवाजा और कसाव होगें ;

(ख) (i) जहां पुरूष और महिला दोनों भवन निर्माण कर्मकार नियोजित किए जाते हैं वहां शौचालयों या मूत्रालयों के प्रत्येक खंड के बाहर की तरफ एक सूचना संप्रदर्शित की जाएगी उसमें यथास्थिति "केवल पुरूषों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" ऐसे कर्मकारों की बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाएगा ;

(ii) ऐसी सूचना में यथास्थिति पुरूष की या महिला की आकृति भी लगी होगी ;

(ग) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय सुविधाजनक रूप से स्थित होगा और सभी समयों पर भवन निर्माण कर्मकारों की पहुँच में होगा ;

(घ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय यथोचित रूप से प्रकाशित होगा और सभी समयों पर स्वच्छ तथा स्वच्छता की दशा में रखा जाएगा ;

(ड.) फलस सेवेज प्रणाली से संसक्त से भिन्न प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ;

(च) पानी का नल या किसी अन्य साधन से इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय में या उसके निकट सुविधाजनक रूप से पहुंच सके ;

(छ) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय की दीवारें, भीतरी छतें और विभाजनों पर चार मास की प्रत्येक अवधि में एक बार सफेदी या रंग किया जाएगा ।

248. **कैंटीन** : – (1) ऐसे प्रत्येक स्थापना में जिसमें यह अधिनियम लागू है और जिसमें भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य का कार्य छः माह या अधिक अवधि तक जारी रहने की सम्भावना है और जिसमें 250 या अधिक भवन कर्मकार साधारणतः नियोजित हैं, नियोजक द्वारा ऐसे भवन कर्मकारो के उपयोग के लिये समुचित कैंटीन की व्यवस्था, विद्यमान स्थापना में नियम लागू होने के 60 दिनों के अन्तर्गत या नये स्थापना के सम्बन्ध में भवन कर्मकारों के नियोजन प्रारंभ होने के साथ, की जायगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन में ऐसी कैंटीन का उपयोग करने वाले भवन निर्माण कर्मकारों की सुविधा के लिए पर्याप्त फर्नीचर सहित एक डाइनिंग हाल, एक रसोई, स्टोर कक्ष, पेंट्री और भवन निर्माण कर्मकारों तथा बर्तनों के लिए पृथक रूप से धुलाइ के स्थान होंगे ।

(3) (i) उपनियम में (1) निर्दिष्ट कैंटीन जब भी कोई व्यक्ति इसमें पहुँच रखता है सभी समयों पर पर्याप्त रूप से प्रकाशित रहेगी ;

(ii) ऐसी कैंटीन की फर्श चिकनी और अप्रवेश्य सामग्री की बनी होगी तथा ऐसी कैंटीन की भीतरी दीवारों पर कम से कम प्रत्येक छह मास में एक बार सफेदी की जाएगी या रंग किया जाएगा ;

परन्तु ऐसी कैंटीन की रसोई की ऐसी भीतरी दीवारों पर प्रत्येक तीन मास में एक बार सफेदी की जाएंगी ।

(4) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन की प्रसीमाएं साफ और स्वच्छ हालत में रखी जाएगी ;

(ii) ऐसी कैंटीन से अपशिष्ट पानी उपयुक्त ढकी हुई नालियों में ले जाया जाएगा और ऐसी कैंटीन के आस पास में इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा ;

(iii) ऐसी कैंटीन से जूठन के संग्रहण और व्ययन के लिए उपयुक्त इंतजाम किया जाएगा ।

(5) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन का भवन किसी शौचालय या मूत्रालय या धूल, धुआँ या आपत्तिजनक भांप के किसी स्त्रोत से कम से कम पंद्रह प्वाइंट दो मीटर की दूरी पर स्थित होगा ।

249. **कैंटीन में परोसा जाने वाले खाद्य पदार्थ** : – नियम 248 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ और अन्य चीजें भवन निर्माण कर्मकारों की सामान्य आहारी आदतों के अनुरूपतः होगी ।

250. **कार्य स्थानों पर चाय और हल्का भोजन का परोसा जाना** : – ऐसे किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर जहाँ कोई कार्य स्थान नियम 248 के उपनियम (1) के अधीन उपबंधित कैंटीन से शून्य प्वाइंट दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है ऐसे स्थान पर ऐसे भवन निर्माण कर्मकारों को चाय और हल्का नाश्ता परोसने के लिए ऐसे स्थान पर भवन निर्माण कर्मकारों को नियोजित करने वाले नियोजक द्वारा इंतजाम किया जाएगा ।

251. खाद्य पदार्थ के मूल्य – (1) 248 के उपनियम (1) के अधीन उपबंधित कैंटीन में परोसे गए खाद्य पदार्थ, सुपेय और अन्य चीजों के लिए मूल्य "न लाभ न हानि" पर आधारित होगें तथा ऐसी वस्तुओं की मूल्य सूची ऐसी कैंटीन में सहज दृश्यतः संप्रदर्शित की जाएगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं के मूल्य निकालते समय निम्नलिखित को व्यय के रूप में विचार में नहीं लिया जाएगा, अर्थात् :–

(क) ऐसी कैंटीन की भूमि और भवन के लिए किराया ;

(ख) भवन और ऐसी कैंटीन में उपलब्ध कराए गए उपस्कर के लिए अवक्षण और अनुरक्षण मूल्य ;

(ग) क्रय करने, मरम्मत और उपस्कर जिसके अंतर्गत फर्नीचर, क्राकरी, कटलरी, बर्तन भी है, के स्थान पर दूसरे बदलने की तथा ऐसी कैंटीन के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई गई वर्दी की लागत ;

(घ) जल प्रभार और ऐसी कैंटीन की रोशनी और संवातन के लिए उपगत अन्य मूल्य ; और

(ड.) ऐसी कैंटीन के लिए फर्नीचर और अन्य उपस्कर उपलब्ध कराए जाने और उनके अनुरक्षण के लिए खर्च की गई रकम पर ब्याज ।

252. **नहाने की सुविधायें** :– (1) इस अधिनियम के क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक प्रतिष्ठान में नियोजित भवन कर्मकारो के उपयोग के लिये समुचित और समुपयुक्त नहानें की सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी तथा जारी रखी जायेगी ।

(2) पुरूष और महिला कर्मकार के प्रयोग के लिये अलग तथा समुचित आवरण की सुविधा की व्यवस्था की जायगी ।

(3) ऐसी सुविधायें, सुविधाजनक सुलभ होगी और स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर दशा में रखी जायगी ।

253. **मजदूरी कालावधि निश्चित करना** :– (1) नियोजक अपने नियोजित भवन कर्मकार के मजदूरियों के संदाय के विषय में मजदूरी कालावधि निश्चित करेगा ।

(2) कोई भी मजदूरी कालावधि एक माह से अधिक का नहीं होगा ।

अध्याय 29

मजदूरी

254. **मजदूरी का संदाय** :– नियोजक भवन या सन्निर्माण कार्य करने के लिए निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि –

(क) ऐसे सन्निर्माण स्थल पर जहां ऐसे भवन निर्माण कर्मकार एक हजार से कम नियोजित किए जाते हैं, वहां नियोजित किए गए प्रत्येक भवन निर्माण कर्मकार की मजदूरी का उस समयावधि जिसकी बाबत ऐसी मजदूरी संदेय है के सातवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है और अन्य दशाओं में उस समयावधि जिसकी बावत ऐसी मजदूरियां संदेय है, के अंतिम दिन के पश्चात् दसवें दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है ।

(ख) यदि ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन ऐसे नियोजक द्वारा या उसकी ओर से समाप्त किया जाता है, तो ऐसे भवन निर्माण कर्मकार द्वारा अर्जित मजदूरियों का संदाय उस दिन से, जिसको ऐसे भवन निर्माण कर्मकार का नियोजन समाप्त किया जाता है, द्वितीय कार्यकरण दिन की समाप्ति से पूर्व संदाय किया जाता है ।

(ग) मजदूरियों के सभी संदाय ऐसे सन्निर्माण स्थल पर और कार्यकरण समय के दौरान और पहले से ही अधिसूचित तारीख को कार्यकरण दिन में किए जाते है और यदि कार्य पूरा हो जाता है तो ऐसे समापन के अड़तालीस घंटो के भीतर मजदूरियों का अंतिम संदाय किया जाता है ।

(घ) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अन्तर्गत अनुज्ञेय राज्य सरकार द्वारा उल्लिखित सामान्य या विशेष आदेश को छोड़कर मजदूरी का संदाय बिना किसी प्रकार के कटौती किये की जायगी ।

255. **मजदूरियों के संदाय की तारीख के बारे में सुचनाओं का प्रदर्शन** : – नियोजक भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के निर्माण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी कालावधि जिसके लिए मजदूरियों का संदाय किया जाता है ऐसी मजदूरियों के वितरण के स्थान और समय को दर्शाने वाली एक सूचना अंग्रेजी, हिन्दी और ऐसे सन्निर्माण स्थल पर नियोजित भवन निर्माण कर्मकारों को बहुसंख्या द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में ऐसे सन्निर्माण स्थल के सहज दृश्य स्थान पर संप्रदर्शित की जाती है ।

भाग – 5

प्रकीर्ण उपबन्ध

अध्याय 30

मुख्य निरीक्षक और निरीक्षकों की शक्तियां –

256. **विशेषज्ञ, अभिकरण नियोजित करने की शक्ति** :– मुख्य निरीक्षक जैसा आवश्यक समझे सिविल इंजीनियरी, संरचनात्मक इंजीनियरी, स्थापत्य कला तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की अन्य शाखाओं से किसी निरीक्षण, अन्वेषण या किसी दुर्घटना या किसी खतरनाक घटना या अन्यथा के कारण करने के संचालन के प्रयोजन के लिए जब भी अपेक्षित हो विशेषज्ञ या अभिकरण नियोजित कर सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास – (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में डिग्री होगी ।

(ख) सुसंगत क्षेत्र में दस साल से अनयून्य का कार्यकरण का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में होगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभिकरण सुसंगत क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की होगी और सुसंगत विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगी ।

(4) राज्य सरकार समय–समय पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों और अभिकरणों का पैनल तैयार कर सकेगी ।

(5) उपनियम (1) के अधीन नियोजित इंजीनियर या विशेषज्ञ या अभिकरण को ऐसे यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्तों का संदाय किया जाएगा जो उसे उसके संगठन द्वारा अनुज्ञात है जहां